

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF Y M FOODWAYS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	Y M FOODWAYS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	03/11/2008
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC –New Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15203DL2008PTC184621
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: B-14, Office No. 302A, 3rd Floor, Vikas Marg, Laxmi Nagar, New Delhi-110092.
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	November 21, 2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	May 18, 2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Amit Kaushal IP REGISTRATION No.- IBBI/IPA-002/IP-N00041/2016-2017/10080
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	A-62, Basement, Defence Colony, New Delhi- 110024 Email id- aka_pcs@yahoo.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	IRP- Amit Kaushal A-62, Basement, Defence Colony, New Delhi- 110024 Email id- cirp.ymf@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	05 th December, 2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	Weblink: https://ibbi.gov.in/download Physical Address: A-62, Basement, Defence Colony, New Delhi- 110024



Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **Y M Foodways Private Limited** on **November 21, 2019**.

The creditors of **Y M Foodways Private Limited**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before December 05, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No.10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class in Form CA.:-**NOT APPLICABLE**

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional :



Amit Kaushal



Date: November 22, 2019

Place: New Delhi

Chopper scam: Not going to run away if granted bail, says Ratul Puri

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 22



Ratul Puri

BUSINESSMAN RATUL PURI, nephew of Madhya Pradesh chief minister Kamal Nath, told a Delhi court on Friday that he was not going to run away if granted bail in a money laundering case related to the VVIP chopper scam.

Puri sought bail from the court saying he was not an accused in the predicate offence, lodged by the CBI based on which the Enforcement Directorate ordered the present case.

Senior advocate Vikas Pahwa, appearing for Puri, told Special Judge Arvind Kumar that he was not a director or a shareholder, directly or indirectly, of the nine companies where the money has gone according to the ED complaint.

"I (Puri) have not received the proceeds of crime, I cannot be tried in this case at all," the counsel told the court. Senior advocate Sidharth Luthra, also appearing for Puri, told the court that he cannot be kept in jail forever.

"I (Puri) am not going to run away if granted the bail. I cannot be kept in jail forever. Bail is the rule and jail is exception," he told the court.

The ED had arrested Puri on September 4 in the case and he

is currently in judicial custody.

"I (Puri) will be an accused in this case only when money related to AgustaWestland comes to my account... If they (ED) are unable to prove this, then the complaint goes. I am not the accused in the predicate offence. There is no direct evidence to show that I have received the money."

"We are dealing with amounts and the accounts. The complaint has been filed and the agency knows that it does not have evidence against me and which is why they have said that the investigation is going on," Pahwa said.

"I (Puri) am not the director or shareholder of the nine companies, directly or indirectly, where the money has gone according to the ED complaint. I have not received the proceeds of crime, I cannot be tried

in this case at all," he added.

The court will further hear the matter on November 25.

Puri moved the bail plea through advocate Vijay Agarwal, saying he was not required for further investigation and no purpose will be served by keeping him in custody.

The Enforcement Directorate recently filed a supplementary Prosecution Complaint against Ratul Puri and Jaspreet Ahuja in the ₹3,600-crore AgustaWestland VVIP chopper deal case.

In January 2014, India had scrapped a contract with Finmeccanica's British subsidiary, AgustaWestland, for supplying 12 VVIP choppers to the Indian Air Force, over alleged breach of contractual obligations and charges of kickbacks worth ₹4.23 crore being paid to secure the deal.

BJP member pitches for making cleanliness fundamental duty

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, November 22

BJP MEMBER PRABHAT Jha on Friday brought a private member's constitutional amendment bill in Rajya Sabha to make cleanliness and sanitation a fundamental duty.

However, discussion on the bill remained inconclusive as Urban Development Minister Hardeep Puri would reply next week. No member expressed reservation against or opposed the bill.

Moving the Constitution (Amendment) Bill, 2019 (amendment of article 51A), which deals with fundamental duties of citizens, Jha said there was a need to expand cleanliness drive in the country.

"Swachh Bharat mission should be a part of the fundamental duties and for that there is a need to amend the

Constitution," he said in the Upper House.

He said it was important to make citizens aware of their responsibilities towards maintaining cleanliness not only in their homes but outside as well.

The Constitution already has 11 fundamental duties listed as of now. Jha said the country has become open defecation free and the credit for achieving the milestone should go to Prime Minister Narendra Modi as he worked tirelessly towards the mission.

He said that over 10 crore toilets have been constructed in the country so far under the Swachh Bharat Mission which has led to lesser cases of diarrhoea.

"Over three lakh lives are being saved every year due to

cleanliness of this disease," he claimed.

Jha cited examples of

Mahatma Gandhi in creating awareness about cleanliness in the country.

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
Registered Address: 11th Floor, Lower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower A, Mumbai 400013

PUBLIC NOTICE

We, TATA Capital Housing Finance Limited, registered with National Housing Bank, having its Registered Office at 11th Floor, Lower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower A, Mumbai-400013 hereby give this notice that Mr. Rajeev Aggarwal as Borrower and Mr. Rama Shanker Aggarwal, Mrs. Usha Goyal, Ms. Rama Shanker Aggarwal & Co. & Mr. Bhagwan Das Aggarwal as Co-Borrowers have taken a loan by securing the below immovable properties with our company as having a valid and legal charge against the below mentioned immovable properties. With this notice the borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned to deal with these properties in any manner or not to create any third party interest or execute any deed in respect of transfer or any other dealings with the below immovable properties.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTIES

- House No. 32A/ E-767, (Upper Ground Floor, 1/3 share of land), Kamla Nagar, Haripurat Ward, Agra, Uttar Pradesh;
- Plot No. E-767, Nagar Nigam No.32A/E-767, (Lower Ground Floor & 1st Floor), Kamla Nagar, Haripurat Ward, Agra, Uttar Pradesh;
- Plot No. 11, Deep Nagar, Phase-1, Mouza-Bodla, Tehsil No.2, Vashikarma, Uttar Pradesh;
- Office No. 8 & 9 Upper Ground Floor, situated at Plot No.2, Vishakhara Plaza, Sector-16B, Pt. Deen Dayal Upadhyay, Puram Awas Vikas Colony, Sikandra, Agra, Uttar Pradesh;
- House No. F-615, MNC No. 32A/F-602, Kamla Nagar, Haripurat Ward, Agra, Uttar Pradesh

For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED
DATE : 23-11-2019
PLACE : AGRA
Authorised Officer

यूनियन बैंक Union Bank of India

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTIES
(Under Rule 8(1) Security Interest Enforcement Rule 2002)

Where as the Authorised Officer of Union Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13 (12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rule 2002, issued Demand Notices Calling Upon the Borrower (s) mentioned below to repay the amount mentioned in the Demand Notices within 60 Days from the date of receipt of the said notices.

The Borrower (s) having failed to repay the amounts, notice is hereby given to borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rule on the dates mentioned below.

The Borrower (s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Union Bank of India for the amount mentioned below. The Borrower's attention is invited to the provision of sub section 13(8) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name & Address of the Borrower & Guarantor	Dt. of Demand Notice & Amount, Dt. of Possession	Details of the Properties
Borrower-Mr. Sanjeev Shakya S/o late Rajendra Singh Shakya, Mr. Anil Shakya S/o late Rajendra Singh Shakya & Munni Devi, W/o late Rajendra Singh Shakya, R/o House No. 743, Sector-14 Awas Vikas Colony, Sikandra Agra-282007 Uttar Pradesh Guarantor-Gaya Prasad, EWS House No.905, Sec-6 D,Awas Vikas Colony, Sikandra Agra-282007 Uttar Pradesh	02.09.2019 Rs. 22,74,238.83 + Interest & Other Exp. 21.11.2019	All that part and parcel of a residential construction comprised in House No. 743, MIG, Sector-14, Awas Vikas Colony, Sikandra Agra-282007 Uttar Pradesh. admeasuring about 178.31 sq mtrs. standing in the name of Mrs. Munni Devi, Mr. Sanjeev Shakya & Mr. Anil Shakya bounded On the north: House No. 744, Sector-14 bounded On the South: 7.5 mtr wide Road, bounded On the East: 9.00 mtr wide Road, bounded On the West: House No. 742, Sector-14 Possession - Symbolic

Date: 21.11.2019, Place: Agra
Authorised Officer

SHREYANS INDUSTRIES LIMITED
CIN: L17115PB1979PLC033984
Regd. Office: Village-Banarjan P.O. Sankhuan, Chandrabh Road, Ludhiana - 141 122
Tel: +91 161-2685270, 9876100948
Email: shreyansgroup.com
Website: www.shreyans.com

COMPANY NOTICE

Notice is hereby given that the following share Certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holder thereof has applied for the issue of duplicate certificate(s):

Name	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
MOOD DEALERS PVT. LTD.	8550	94147	11765001-1325200	260000

The public is hereby warned against purchasing or dealing with these shares in any way. Any person who has/have any claim regarding these shares, should lodge such claim with the Company within seven days from the date of publication of this notice, failing which the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s).

For Shreyans Industries Limited
Place: Ludhiana
Date: 22.11.19
Company Secretary

Form No. INC-26
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)
Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, New Delhi

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
UPES COUNCIL FOR INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
(CIN: UR303/DL2012NP23366)
having its Registered Office at
212, FIRST FLOOR OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE III, NEW DELHI-110020

Application made by Applicant/Petitioner to the Registrar of Companies, Northern Region, New Delhi for the registration of the Company under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Wednesday, 20th November, 2019 to enable the company to change its Registered Office to "National Capital Territory of Delhi" the "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or in person to the Registrar or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit Deen Dayal Upadhyay Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant/ petitioner to the Registered Office at the address mentioned below.

212, FIRST FLOOR OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE III, NEW DELHI-110020

UPES COUNCIL FOR INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
AJAY KUMAR YADAV
(Director)
Date: 23.11.2019
Place: New Delhi
DIN: 08266971

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that our client, **M/s. Muthoot Finance Ltd.** (GSTIN 32AABCT03438127), Registered Office: 2nd Floor, Muthoot Chambers, Banerji Road, Kochi - 682018, Kerala, India CIN: L65910KL1997PPLC011300, Ph: +91 484-2396478, 2394712, Fax: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com is conducting Auction of ornaments (NPA accounts for the period up to 30.09.2018), pledged in its favour, by the defaulting Borrowers, as detailed hereunder. All those interested may participate.

Date of Auction: 29.11.2019

Bhopal-Hamidia Road: MHP-5, MSL-8870, 7070, 7071, 15556, 15631, 15966, 15967, 16125, MUL-147, 509, 1063, 1066, 1103, 1138, 1144, 1152, 1174, 1198, 1200, 1216, 1257, 1295, 1296, 1313, 1318, 1345, 1352, 1358, 1373, 1452, 1464, 1529, 1535, 1543, 1544, 1562, 1585, 1622, 1628, 1641, 1651, 1652, 1683, 1696, 1760, 1770, 1786, 1889, 1961, Bhopal-T.T. Nagar: MSL-15815, 15887, MUL-265, 284, 393, 653, MWS-92, 150, 172, 177, 178, 197, 205, 236, 237, 239, 240, 248, 249, 252, 254, 271, 272, 277, 302, 321, 323, 351, 357, 358, 372, 381, 421, 431, 433, 447, 468, 469, 482, 484, 498, 501, 502, 534, 600, 664, 675, 685, 692, 776, 802, 810, 814, 839, 947, 977, Bhopal-Hoshangabad: MAL-419, 463, MAL-15285, MAL-837, 791, 927, 928, 965, 969, 1002, 1071, 1078, 1094, 1114, 1180, 1185, 1210, 1278, 1280, 1297, 1318, 1324, 1325, 1326, 1360, 1365, 1404, 1434, 1451, 1472, 1445, 1467, 1470, 1534, 1537, 1567, 1598, 1616, 1728, Bhopal-Indrapuri: MUL-23817, 13740, 13745, 13420, 14434, 14561, 14712, MUL-1688, 1694, 1704, 1830, 1832, 1840, 1853, 1856, 1860, 1879, 1909, 1915, 1917, 1926, 1936, 1975, 2015, 2038, 2061, 2133, 2141, 2158, 2200, 2210, 2241, 2247, 2248, 2249, 2250, 2252, 2260, 2278, 2285, 2325, 2329, 2340, 2345, 2356, 2373, 2386, 2388, 2403, 2415, 2418, 2441, 2442, 2452, 2453, 2456, 2466, 2480, 2486, 2503, 2504, 2530, 2531, 2548, 2561, 2582, 2570, 2582, 2603, 2638, 2647, 2666, 2684, 2751, 2759, 2765, 2784, 2797, 2809, 2834, 2862, 2868, 2921, 2936, 2995, 3066, 3231, Bhopal-Kolar Road: MUL-310, 679, 783, 801, 855, 870, 908, 938, 963, 972, 979, 992, 1029, 1034, 1061, 1069, 1088, 1132, 1140, MWS-55, 67, 89, 136, 137, 224, Bhopal-Raisen Road: MAL-469, MWS-1244, 205, 244, 276, 344, 354, 441, 491, 500, 556, 575, 576, 582, 616, 717, 826, Bhopal-Imami Gate: MAL-384, AGRS-1549, MUL-310, MWS-123, 129, 133, 172, 186, 206, 211, 232, 233, 236, 262, 348, 357, 360, 368, 375, 385, 387, 393, 413, 429, 454, 464, 470, 475, 479, 480, 516, 523, 558, 584, 735, 742, 769, 771, Bhopal-Awadhpuri: MAL-628, MSL-5405, MUL-686, 958, 959, 1061, 1071, 1114, 1118, 1137, 1150, 1152, 1157, 1176, 1277, 1238, 1258, 1285, 1286, 1301, 1323, 1341, 1376, 1392, 1446, 1452, 1463, 1492, 1496, 1497, 1515, 1517, 1523, 1527, 1528, 1544, 1568, 1545, 1550, 1557, 1558, 1592, 1609, 1621, 1629, 1630, 1631, 1632, 1634, 1656, 1659, 1664, 1671, 1674, 1681, 1692, 1733, 1749, 1774, 1827, 1836, 1850, MWS-20, 22, 33, 63, 69, 104, Bhopal-Arera Colony: MAL-62, MHL-54, MUL-854, 858, 914, 946, 949, 950, 952, 979, 1013, 1029, 1031, 1043, 1079, 1080, 1102, 1115, 1144, 1151, 1176, 1185, 1188, 1203, 1219, 1225, 1243, 1246, 1258, 1280, 1261, 1271, 1311, 1324, 1389, 1398, 1399, 1414, 1423, 1440, 1423, 1474, 1478, 1503, 1505, 1506, 1508, 1528, 1546, 1633, Bhopal-Ashoka Road: MGL-1624, MSL-12155, 12503, 12551, 12475, 12844, MUL-44, 836, 1098, 1198, 1983, 2002, 2004, 2009, 2031, 2045, 2059, 2066, 2074, 2085, 2125, 2150, 2162, 2174, 2188, 2189, 2190, 2199, 2200, 2266, 2268, 2269, 2310, 2313, 2394, 2402, 2409, 2420, 2427, 2434, 2438, 2441, 2459, 2472, 2483, 2485, 2488, 2493, 2492, 2498, 2504, 2525, 2536, 2537, 2547, 2574, 2577, 2582, 2593, 2605, 2619, 2642, 2675, 2678, 2691, 2705, 2719, 2730, 2744, 2766, 2772, 2773, 2774, 2782, 2789, 2790, 2804, 2824, 2825, 2829, 2833, 2839, 2841, 2849, 2852, 2873, 2876, 2877, 2895, 2896, 2926, 2942, 2947, 2957, 2969, 3004, 3005, 3030, 3044, 3070, 3079, 3080, 3090, 3092, 3121, 3125, 3151, 3157, 3263, 3326, 3333, 3335, 3362, 3372, 3405, 3599, 3621, 3762, 3852, Bhopal-Kamla Nagar: MAL-1597, 1765, MUL-1652, 1734, 1796, 1812, 1974, 1975, 2085, 2086, 2098, 2131, 2195, 2240, 2264, 2278, 2311, 2322, 2333, 2348, 2355, 2394, 2398, 2417, 2426, 2437, 2498, 2515, 2534, 2567, 2574, 2580, 2628, 2629, 2664, 2680, 2745, 2787, 2796, 2824, 2825, 2841, 2848, 2862, 2917, 2942, 2974, 3001, 3015, 3110, 3146, 3148, 3266, 3272, 3324, 3333, 3351, 3356, 3373, 3467, 3478, 3483, 3492, 3494, 3498, 3500, 3539, 3570, 3572, 3583, 3724, 3767, 3817, 3834, 3871, 3876, 4048, 4091, Bhopal-Karond Chauraha: MAL-1254, MSL-8959, MUL-857, 1022, 1562, 1593, 1594, 1599, 1601, 1632, 1652, 1654, 1656, 1658, 1679, 1683, 1684, 1712, MWS-71, 161, 228, 229, 240, 274, 344, 414, 444, 447, 492, 495, 529, 548, 559, 567, 607, 671, 681, 694, 701, 712, 718, 724, 745, 756, 806, 807, 828, 813, 833, 842, 844, 845, 846, 848, 858, 864, 900, 977, 984, 985, 991, 996, 1051, 1052, 1087, 1107, 1150, 1157, 1177, 1180, 1204, 1255, 1290, 1294, 1354, 1366, 1381, 1400, 1408, 1454, 1553, 1535, 1536, 1555, 1598, 1610, 1669, 1789, 1801, 1830, 1842, 1853, 1878, 2060, 2062, 2098, 2098, Bhopal-Jahangirabad: MAL-370, MSL-4882, 4997, 5063, MUL-689, 712, 716, 744, 747, 760, 880, 888, 901, 919, 954, 969, 988, 989, 1106, 1144, 1165, 1173, 1219, 1237, 1270, 1391

Auction of Spurious/Low purity ornaments, (Accounts for the period up to 30.04.2019)
Date of Auction: 29.11.2019

Bhopal-Hamidia Road: MAL-1247, 1661, MOL-685, MUL-900, 2319, 2638, 2724, 2732, 2733, 3046, Bhopal-T.T. Nagar: MAL-931, MWS-1839, Bhopal-Kolar Road: MWS-115, Bhopal-Raisen Road: MSL-9696, Bhopal-Karond Chauraha: MUL-1830

The auctions in respect of the loan accounts shown under the branch head will be conducted at the respective branches. However, please note that in case the auction does not get completed on the given date(s), then in that event the auction in respect thereto shall be conducted/continued on 30th November, 2019 & 2nd December, 2019 respectively at Muthoot Finance Ltd., 2nd Floor, Plot No-76, Sector-A, Scheme-13, MP Nagar Zone-II, Bhopal, M.P - 462012 and further in case the said ornaments are still not successfully auctioned on these dates then such auction shall be conducted on subsequent dates thereafter, at this same venue. No further notices shall be issued in this respect.

Kohli & Sobti, Advocates, A 59A, First Floor, Ludhiana Nagar-II, New Delhi - 110024

Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886464, 7994452461.

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF Y M FOODWAYS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

S. No.	Name of Corporate Debtor	Y M FOODWAYS PRIVATE LIMITED
1.	Name of Corporate Debtor	Y M FOODWAYS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	03/11/2008
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered	RoC-New Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U15203DL2008PT184621
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office : B-14, Office No. 302A, 3rd Floor, Vikas Marg, Laxmi Nagar, New Delhi-110029.
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	November 21, 2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	May 18, 2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Amit Kaushal IP Registration No.-IBBI/IPA-002/1P-N00041/2016-2017/10080
9.	Address and email of the interim resolution professional, as registered with the board	A-62, Basement, Defence Colony, New Delhi-110024 Email : aka_pcs@yahoo.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	IRP- Amit Kaushal A-62, Basement, Defence Colony, New Delhi-110024 Email: crp_ymf@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	05th December, 2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Not Applicable
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorized representatives of creditors in a class (three names for each class)	Not Applicable
14.	(a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Web link: https://bbi.gov.in/home/downloads (b) Physical Address : A-62, Basement, Defence Colony, New Delhi- 110024

A notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Y M Foodways Private Limited on November 21, 2019. The creditors of Y M Foodways Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before December 05, 2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit their claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class in Form CA-1, NOT APPLICABLE.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 22/11/2019
Place: New Delhi
IP Registration No.-IBBI/IPA-002/1P-N00041/2016-2017/10080

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF HARISH BAKERS AND CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

S. No.	Name of Corporate Debtor	HARISH BAKERS AND CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED
1.	Name of Corporate Debtor <td>HARISH BAKERS AND CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED</td>	HARISH BAKERS AND CONFECTIONERS PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor <td>25/03/2003</td>	25/03/2003
3.	Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered <td>RoC-Delhi</td>	RoC-Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor <td>U15142DL2003PTC119541</td>	U15142DL2003PTC119541
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor <td>C-30, Ram Dutt Enclave, Uttam Nagar, New Delhi - 110057</td>	C-30, Ram Dutt Enclave, Uttam Nagar, New Delhi - 110057
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor <td>15-November-2019 (Order received on 20-November-2019)</td>	15-November-2019 (Order received on 20-November-2019)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process <td>13-May-2020</td>	13-May-2020
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional <td>Sanjay Sahni IBBI/IPA-001/1P-P00341/2017-18/10642</td>	Sanjay Sahni IBBI/IPA-001/1P-P00341/2017-18/10642
9.	Address and email of the interim resolution professional, as registered with the board <td>G-11/3, Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Email : sanjay.sahni@gmail.com</td>	G-11/3, Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Email : sanjay.sahni@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional <td>G-11/3, Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Email : cirpbcp@gmail.com</td>	G-11/3, Ground Floor, Malviya Nagar, New Delhi-110017 Email : cirpbcp@gmail.com
11.	Last date for submission of claims <td>4-Dec-2019</td>	4-Dec-2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional <td>Not Applicable</td>	Not Applicable
13.	Names of insolvency professionals identified to act as authorized representatives of creditors in a class (three names for each class) <td>Not Applicable</td>	Not Applicable
14.	(a) Relevant forms and (b) Details of authorized representatives are available at: <td>(a) Web link: https://bbi.gov.in/home/downloads (b) Not Applicable</td>	(a) Web link: https://bbi.gov.in/home/downloads (b) Not Applicable

A notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi Bench II has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Harish Bakers and Confectioners Private Limited on 15-November-2019 (Order received on 20-Nov-2019). The creditors of Harish Bakers and Confectioners Private Limited, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 4-December-2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit their claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorized representative of the class in Form CA-1, NOT APPLICABLE.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 22/11/2019
Place: New Delhi
IP Registration No.-IBBI/IPA-001/1P-P00341/2017-18/10642

<div> भारतीय स्टेट बैंक, तनावप्रस्त आरिस्त वसुली शाखा-11, एस्काईआई हाकस, चौथा तल, 18/4, आर्य समाज रोड, कनेज बंग, दिल्ली-110005, फ़ोन नं. 28752163, ईमेल : sbi51521@sbi.co.in</div>
<div>सुद्विपत्र</div> <div>दिनांक 14.11.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि कर्जदार मैसर्स एरन्स गोल्ड सूक इंटरनेशनल लि. (क्र.सं. 23), के खाते की सम्पत्ति की कब्जा की स्थिति (भौतिक कब्जा बैंक के पास है) के स्थान पर (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है) पढ़ा जाए।</div> <div>और कर्जदार श्री कपिल मनचंदा (क्र.सं. 25) के खाता में सम्पत्ति का विवरण रिहायशी प्लॉट के स्थान पर रिहायशी प्लॉट पढ़ा जाए।</div> <div>और कर्जदार मैसर्स एम आर के इंटरप्राइजेज (क्र.सं. 27) के खाते की सम्पत्ति की कब्जा की स्थिति (भौतिक कब्जा बैंक के पास है) के स्थान पर (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है) पढ़ा जाए।</div> <div>और कर्जदार मैसर्स एम आर के इंटरप्राइजेज (क्र.सं. 28) के खाते की सम्पत्ति की कब्जा की स्थिति (भौतिक कब्जा बैंक के पास है) के स्थान पर (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है) पढ़ा जाए।</div> <div>और कर्जदार श्री नरेश पाल (क्र.सं. 31), के खाते की सम्पत्ति के मालिक का नाम शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी के स्थान पर श्री नरेश पाल पुत्र श्री जय प्रकाश पढ़ा जाए।</div> <div>और कर्जदार मैसर्स भगवती सोनी कापरिशन (क्र.सं. 32), के खाते की सम्पत्ति की कब्जा की स्थिति (सांकेतिक कब्जा बैंक के पास है) के स्थान पर (भौतिक कब्जा बैंक के पास है) पढ़ा जाए।</div> <div>शेष सूचना के अनुसार रहेंगी।</div>
<div>हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक</div>

<div>प्रपत्र ए</div> <div>सार्वजनिक घोषणा</div>																												
<div>[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अहमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया) विनियमवली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]</div>																												
<div>हरीशा बेकर्स एंड कन्फैक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ</div>																												
<div>संबंधित विवरण</div>																												
<table><tbody><tr><td>1. कार्पोरेट देनदार का नाम</td><td>हरीश बेकर्स एंड कन्फैक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड</td></tr><tr><td>2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि</td><td>25.03.2003</td></tr><tr><td>3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित /पंजीकृत है</td><td>रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज,दिल्ली</td></tr><tr><td>4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या</td><td>U15412DL2003PTC119541</td></tr><tr><td>5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता</td><td>सी-30, राम दत्त एन्क्लेव, राम नगर, नई दिल्ली -110059</td></tr><tr><td>6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि</td><td>15.11.2019 (आरंभण 20.11.2019 को प्राप्त हुआ)</td></tr><tr><td>7. ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि</td><td>13.05.2020</td></tr><tr><td>8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर</td><td>संजय साहनी IBBI/PA-001/IP-P00341/2017-18/10642</td></tr><tr><td>9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।</td><td>जी -11 /3, वाउड वॉलर, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 ईमेल : casanjaysahni@gmail.com</td></tr><tr><td>10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रमुक्त, पता और ई-मेल</td><td>जी -11 /3, वाउड वॉलर, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 ईमेल : cirphbcpl@gmail.com</td></tr><tr><td>11. दाया प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि</td><td>04.12.2019</td></tr><tr><td>12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के तहत (यदि) के तहत अभिनियमित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई</td><td>लागू नहीं</td></tr><tr><td>13. किसी भी लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल के नाम (यदिबहुत श्रेणी के लिए तीन नाम)</td><td>लागू नहीं</td></tr><tr><td>14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है।</td><td>वेबसाइट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं</td></tr></tbody></table>	1. कार्पोरेट देनदार का नाम	हरीश बेकर्स एंड कन्फैक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड	2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	25.03.2003	3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित /पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज,दिल्ली	4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15412DL2003PTC119541	5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सी-30, राम दत्त एन्क्लेव, राम नगर, नई दिल्ली -110059	6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि	15.11.2019 (आरंभण 20.11.2019 को प्राप्त हुआ)	7. ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	13.05.2020	8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	संजय साहनी IBBI/PA-001/IP-P00341/2017-18/10642	9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	जी -11 /3, वाउड वॉलर, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 ईमेल : casanjaysahni@gmail.com	10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रमुक्त, पता और ई-मेल	जी -11 /3, वाउड वॉलर, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 ईमेल : cirphbcpl@gmail.com	11. दाया प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	04.12.2019	12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के तहत (यदि) के तहत अभिनियमित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं	13. किसी भी लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल के नाम (यदिबहुत श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं	14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है।	वेबसाइट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं
1. कार्पोरेट देनदार का नाम	हरीश बेकर्स एंड कन्फैक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड																											
2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	25.03.2003																											
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित /पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज,दिल्ली																											
4. कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15412DL2003PTC119541																											
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	सी-30, राम दत्त एन्क्लेव, राम नगर, नई दिल्ली -110059																											
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि	15.11.2019 (आरंभण 20.11.2019 को प्राप्त हुआ)																											
7. ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	13.05.2020																											
8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	संजय साहनी IBBI/PA-001/IP-P00341/2017-18/10642																											
9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	जी -11 /3, वाउड वॉलर, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 ईमेल : casanjaysahni@gmail.com																											
10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रमुक्त, पता और ई-मेल	जी -11 /3, वाउड वॉलर, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017 ईमेल : cirphbcpl@gmail.com																											
11. दाया प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	04.12.2019																											
12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के तहत (यदि) के तहत अभिनियमित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं																											
13. किसी भी लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल के नाम (यदिबहुत श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं																											
14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है।	वेबसाइट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं																											
<div>एतद्वारा सूचना दी जाती है कि स्टार्टअप कंपनी विधि अधिनियम नं दिनांक 21 नवंबर 2019 को वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के शिफ्ट कार्पोरेट ऋण शोध अहमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।</div>																												
<div>वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 05 दिसम्बर 2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष कारर आदिमण 50 के समय पूर्णतः पत्र पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।</div>																												
<div>वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक सार्वनी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक सार्वनी प्रस्तुत कर सकते हैं।</div>																												
<div>किसी भी लेनदार के साथ सम्बंधित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र और (यदि लागू) में निर्देशित किया गया।</div>																												
<div>दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।</div>																												
<div>हस्ता./— अंतरिम समाधान प्रोफेशनल</div>																												
<div>दिनांक : 22 नवंबर 2019 स्थान : नई दिल्ली</div>																												
<div>हस्ता./— संजय साहनी</div>																												
<div>हरीश बेकर्स एंड कन्फैक्शनर्स प्राइवेट लिमिटेड पंजीकरण संख्या - IBBI/PA-001/IP-P00341/2017-18/10642</div>																												

<div>VOITH</div>
<div>वॉथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड</div>
 <div>पंजीकृत कार्यालय: 113 / 114ए, सैक्टर-24, फरीदाबाद-121005, हरियाणा</div>
सीआईएफ: L74899HR1968PLC004895
फोन +91 129 4292200; फैक्स +91 129 2232072
ई-मेल: voithfabrics.fandab@voith.com
वेबसाइट: http://www.voithpaperfabricsindia.com


कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के अंतर्गत आईइपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण हेतु शेरधारकों को सूचना


कम्पनी के सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे सभी शेयर जिनके सम्बन्ध में लामाश सात अथवा उस से अधिक वर्षों से दिवा रहित अथवा अरस्त है, को कम्पनी द्वारा इस सम्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के तमाम पठित विनिधानकर्ता शिक्ता और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संरक्षिका, अंतरण और प्रतिवेद्य) नियम, 2016, यथा संशोधित, (आईइपीएफ नियम) के प्रावधानों के के अंतर्गत विनिधानकर्ता शिक्ता और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईइपीएफ प्राधिकरण) में हस्तांतरित करना बाधनीय है। उक्त नियमों के अनुपालन में, कम्पनी ने 29.86.16 शेयरों को आईइपीएफ प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में पहले ही हस्तांतरित कर दिया है, जिनके विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, शेयरों का एक और हिस्सा आईइपीएफ प्राधिकरण को स्थानांतरित किया जाना है और इनके विवरण कम्पनी की वेबसाइट पर http://voith.com/ind-en/Voith-Paper-Fabrics-India-Limited_Investors-Corner.htm लिंक पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आईइपीएफ प्राधिकरण में ऐसे शेयरों को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से, कम्पनी संबंधित शेयरधारकों द्वारा धारित पुराने भौतिक शेयर प्रमाण पत्र के बदले में नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। इस तरह जारी किए जाने पर, पुराने प्रमाण पत्र स्वतः रूप से रद्द हो जाएंगे एवं इसे गैर-परकाम्य रूप में प्रतिपादित किया जाएगा। वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए विवरणों को इस संबंध में नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पुराने सूचना पत्राना चाहिए।

कथित आईइपीएफ नियमों की आवश्यकताओं की अनुपालन में, कम्पनी ने, शेयरों के हस्तांतरित से बचने के लिए उचित कार्याई करण हेतु, सभी सम्बद्ध शेयरधारकों को कम्पनी के सहायक कर्ता के पंजीकृत पत्र पर व्यक्तिगत रूप से संचार भेजा है। यदि इस संबंध में संबंधित शेयरधारक से कम्पनी को **31 दिसम्बर 2019** तक कोई संचार प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी इन शेयरों को आईइपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित करने हेतु यथासमम यथोचित कदम उठाएगी।

कम्पनी द्वारा आईइपीएफ प्राधिकरण को एक बार लामाश/शेयर हस्तांतरित करने के पश्चात् ऐसे लामाशों/शेयरों का दावा आईइपीएफ प्राधिकरण से उपरोक्त नियमों की प्रक्रिया के अनुसार मात्र सम्बद्ध सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। यदि शेयरधारकों को इस विषय और नियमों पर कोई प्रश्न हैं, तो वे कम्पनी सचिव से +91 129 4292 200 को इस विषय पर या कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में एक पत्र भेजकर या investorcare.vfia@voith.com आईईपी पर ईमेल भेजकर संपर्क कर सकते हैं।

कृते वॉथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड
हस्ता./—
(सी. एस्. पुगलियानी)
कम्पनी सचिव
तिथि: 22.11.2019
स्थान: फरीदाबाद
एफसीएस संख्या 4301

<div>यूनियन बैंक</div> <div><small>अंतरिम</small></div> <div> Union Bank of India</div>					
					
					
<div>जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आरिस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी तालिका में उधारकर्ता के खाते, चुकाने वाली राशि सहित अन्य जाकारिस्तों दी गयी है, को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।</div>					
<div>ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के खिदाफ उल्लिखित तारोखों पर निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।</div>					
<div>विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को धन धराशि प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लेख में दिया गया है तथा उससे आगे का ब्याज शुल्क सहित देना होगा।</div>					
<div>सुरक्षित परिस्परितियों को धुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आर्मात किया जाता है।</div>					
क्र. सं.	खाते का नाम और उधारकर्ता का नाम (सम्पत्ति का मालिक)	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण (अचल)	डिमांड नोटिस की तारीख	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तारीख बकाया राशि
1.	श्री समीर सेठ पुत्र श्री एस्.पी. सेठ, श्रीमति रागिनी सेठ पत्नी श्री समीर सेठ और श्री रजेश कुमार समीर सेठ और श्री वसुधा कुमार सोनी पुत्र श्री बन्नी प्रयाद सह	वह सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्पत्ति जो दुकान नम्बर-10, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), दुकान नम्बर-13, श्रीमति रागिनी सेठ पत्नी श्री समीर सेठ और श्री रजेश कुमार समीर सेठ और श्री रजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बन्नी प्रयाद सह	16.08. 2019	21.11.2019	₹. 12,14,735.71 31.07.19 को, आगे ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि के साथ।
2.	मैसर्स सुवेराज इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1. वह सम्पूर्ण औद्योगिक सम्पत्ति जो ई-211, औद्योगिक क्षेत्र, कवि नगर, गाजियाबाद, जिसका क्षेत्रफल 1293.50 वर्ग मीटर है जो मैसर्स सुवेराज इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम है जिसकी सीमायें: पूर्व-ई-212, पश्चिम-ई-210, उत्तर-सड़क, दक्षिण-एच-24	20.08. 2019	21.11.2019	₹. 4,42,35,701.13 31.07.19 को, आगे ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि के साथ।
	श्री सुमित शर्मा, श्री सोरभ शर्मा और अमित शर्मा	2. वह सम्पूर्ण आवासीय सम्पत्ति जो एच-6, यूजोएफ, ब्लॉक-8, प्लॉट नम्बर-8/16, सैक्टर-3, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद में स्थित है जो श्री सोरभ शर्मा, श्री सुमित शर्मा और श्री अमित शर्मा के नाम हैं। जिसकी सीमायें: पूर्व-प्लॉट न-73 और 74, पश्चिम-100 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- प्लॉट-17, दक्षिण-40 फीट सड़क			
दिनांक: 21.11.2019	स्थान: गाजियाबाद	प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			

<div> टाटा कॅपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड</div>
<div>पंजीकृत पता: 11वां तल, टावर ए, पॅनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पोल, मुम्बई- 400013</div>
<div>सार्वजनिक सूचना</div>
<div>हम, टाटा कॅपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, उद्योग श्रवण बैंक में पंजीकृत (जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वां तल, टावर ए, पॅनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पोल, मुम्बई 400013 में है, एतद्वारा यह सूचना दे रहा हूँ कि श्री रवीश अग्रवाल ने ऋणधारक के रूप में तम श्री रामा शंकर अग्रवाल, श्रीमती उषा गोयल, से. रामा शंकर अग्रवाल एंड के. एवं श्री अग्रवाल दास अग्रवाल ने सह-ऋणधारकों के रूप में हमारी कम्पनी में वचने योजित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित कर ऋण प्राप्त किया है।</div>
<div>हमारी कम्पनी के पास नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों का वचन तथा कब्ज़ी प्राप्त है। इस सूचना के द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि किसी भी रूप में इस सम्पत्तियों का व्यवसाय अथवा किसी थर्ड पार्टी हित का निगमन, अथवा अंतरण के लिये किसी प्रत्येक का निष्पादन अथवा नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों का अन्य कोई व्यवसाय न करे।</div>
<div>अचल सम्पत्तियों का विवरण</div>
<div>1. मकान सं. 32 ए/ई-767 (ऊपरी मू तल, भूमि का 1/3 खेतर), कमला नगर, हरि पंचत याद, आगरा, उत्तर प्रदेश, 2. प्लॉट नं. ई-767, नगर निगम नं. 32 ए/ई-767, (निम्न मू तल एवं 1ला तल) कमला नगर, हरि पंचत याद, आगरा, उत्तर प्रदेश, 3. प्लॉट नं. 11, दीप नगर, फेज-1, मौआ- बोडला, तहसील एवं आगरा, उत्तर प्रदेश, 4. आरिफ नं. 8 एवं 9, ऊपरी मू तल जो प्लॉट नं. 2, बिश्नकां पन्ना, सैक्टर 16 भी, से. दीनदयाल कणायक पुरम आवास फ्लैट कॉलोनी, सिवन्दरा, आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। 5. मकान सं. एच-615, एफएनसी नं. 32ए/एच-602, कमला नगर, हरि पंचत याद, आगरा, उत्तर प्रदेश, टाटा कॅपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिये</div>
<div>हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी</div>

<div>प्रपत्र ए</div> <div>सार्वजनिक घोषणा</div>																												
<div>[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अहमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया) विनियमवली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]</div>																												
<div>वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ</div>																												
<div>संबंधित विवरण</div>																												
<table><tbody><tr><td>1. कार्पोरेट देनदार का नाम</td><td>वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड</td></tr><tr><td>2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि</td><td>03/11/2008</td></tr><tr><td>3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित /पंजीकृत है</td><td>रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली</td></tr><tr><td>4. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता</td><td>U15203DL2008PTC184621</td></tr><tr><td>5. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि</td><td>20.11.2019</td></tr><tr><td>6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि</td><td>18.05.2020</td></tr><tr><td>7. ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि</td><td></td></tr><tr><td>8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर</td><td>अमित कोशल आर्यो पंजीकरण संख्या : IBBI/PA-002/IP-N00041/2016-2017/10080</td></tr><tr><td>9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।</td><td>ए -62, सेक्टर, किरास कोली, नई दिल्ली - 110024 ईमेल : aka_pcs@yahoo.com</td></tr><tr><td>10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रमुक्त, पता और ई-मेल</td><td>आर्यो/अमित कोशल ए -62, सेक्टर, किरास कोली, नई दिल्ली -110024 ईमेल : cirp_ymf@gmail.com</td></tr><tr><td>11. दाया प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि</td><td>05.12.2019</td></tr><tr><td>12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के तहत (यदि) के तहत अभिनियमित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई</td><td>लागू नहीं</td></tr><tr><td>13. किसी भी लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल के नाम (यदिबहुत श्रेणी के लिए तीन नाम)</td><td>लागू नहीं</td></tr><tr><td>14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है।</td><td>वेबसाइट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं</td></tr></tbody></table>	1. कार्पोरेट देनदार का नाम	वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03/11/2008	3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित /पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली	4. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	U15203DL2008PTC184621	5. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि	20.11.2019	6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि	18.05.2020	7. ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि		8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	अमित कोशल आर्यो पंजीकरण संख्या : IBBI/PA-002/IP-N00041/2016-2017/10080	9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	ए -62, सेक्टर, किरास कोली, नई दिल्ली - 110024 ईमेल : aka_pcs@yahoo.com	10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रमुक्त, पता और ई-मेल	आर्यो/अमित कोशल ए -62, सेक्टर, किरास कोली, नई दिल्ली -110024 ईमेल : cirp_ymf@gmail.com	11. दाया प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	05.12.2019	12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के तहत (यदि) के तहत अभिनियमित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं	13. किसी भी लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल के नाम (यदिबहुत श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं	14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है।	वेबसाइट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं
1. कार्पोरेट देनदार का नाम	वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड																											
2. कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	03/11/2008																											
3. प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित /पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, नई दिल्ली																											
4. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	U15203DL2008PTC184621																											
5. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि	20.11.2019																											
6. कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अहमता आरंभण तिथि	18.05.2020																											
7. ऋण शोध अहमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि																												
8. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	अमित कोशल आर्यो पंजीकरण संख्या : IBBI/PA-002/IP-N00041/2016-2017/10080																											
9. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।	ए -62, सेक्टर, किरास कोली, नई दिल्ली - 110024 ईमेल : aka_pcs@yahoo.com																											
10. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रमुक्त, पता और ई-मेल	आर्यो/अमित कोशल ए -62, सेक्टर, किरास कोली, नई दिल्ली -110024 ईमेल : cirp_ymf@gmail.com																											
11. दाया प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	05.12.2019																											
12. अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप-धारा (क) के तहत (यदि) के तहत अभिनियमित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं																											
13. किसी भी लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल के नाम (यदिबहुत श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं																											
14. (क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है।	वेबसाइट: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads लागू नहीं																											
<div>एतद्वारा सूचना दी जाती है कि स्टार्टअप कंपनी विधि अधिनियम नं दिनांक 21 नवंबर 2019 को वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के शिफ्ट कार्पोरेट ऋण शोध अहमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।</div>																												
<div>वाई एम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 05 दिसम्बर 2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष कारर आदिमण 50 के समय पूर्णतः पत्र पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।</div>																												
<div>वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक सार्वनी द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक सार्वनी प्रस्तुत कर सकते हैं।</div>																												
<div>किसी भी लेनदार के साथ सम्बंधित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अहमता प्रोफेशनल में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि प्रपत्र और (यदि लागू) में निर्देशित किया गया।</div>																												
<div>दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।</div>																												
<div>हस्ता./— अमित कोशल</div>																												
<div>दिनांक : 22 नवंबर 2019 स्थान : नई दिल्ली</div>																												
<div>आर्यो पंजीकरण संख्या : IBBI/PA-002/IP-N00041/2016-2017/10080</div>																												

<div>MAHARASHTRA FILM, STAGE & CULTURAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.</div> <div>(A Government of Maharashtra Undertaking)</div>
 <div>DADASAHEB PHALKE CHITRANAGRI, GOREGAON (E), MUMBAI - 400 065, INDIA</div>
Telephone number: 022 28497540
GLOBAL TENDER
E-TENDER NOTICE NO. 5 OF 2019-2020 EXTENSION
Subject : Extension for selection of concessionaire for development of Dadasaheb Phalke Chitranagari (Film City) on design, build, finance, operate and transfer (DBFOT) basis.

As per the Global Tender Notice and Request for Proposal dated 14.08.2019 the Bid Due Date for the above mentioned Project was 21.11.2019. Due to bidders' request, the bid due date is being extended up to 21.02.2020till 15:00 hrs.

For Further details, please visit www.filmcitymumbai.org Interested bidders can see the Detailed Brief Tender Notice and submit the Bid Document on E-tendering portal <https://mahatenders.gov.in>

	<div>हस्ता./— अंतरिम समाधान प्रोफेशनल</div>
<div>दिनांक : 22 नवंबर 2019 स्थान : नई दिल्ली</div>	<div>आर्यो पंजीकरण संख्या : IBBI/PA-002/IP-N00041/2016-2017/10080</div>

<div> सिंडिकेट बैंक</div> <div>SyndicateBank</div>

Branch- Shrija Sun City, Indrapuram, Ghaziabad, UP 201014
Ph: 0120- 2652649
Fax: 0120-2651478, MICR 110025139
IFSC CODE: SYNB0008893

<div>परिशिष्ट – IV – ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]</div>
<div>अचल सम्पत्तियों की विक्री हेतु विक्री सूचना</div>
<div>वित्तीय आरिस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक को अधीन अचल आरिस्तियों की विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना है।</div>
<div>एतद्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रागर्तित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित /भौतिक (जो भी सही है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रु. 16,19,893.25 (रु. सोलह लाख उन्नीस हजार आठ सौ तिरावनवे और पच्चीस पैसे मात्र) + 01-09-2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 31-12-2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।</div>
<div>उधारकर्ता:- 1. तेजबीर सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह।</div>
<div>2. श्रीमति सुशीला देवी पति तेजबीर सिंह, पता: 333जी, शक्ति खण्ड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद - 201014.</div>
<div>सुरक्षित मूल्य रु. 7,00,000/— (रु. सात लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रु. 70,000/— (रु. सत्तर हजार मात्र) होगी।</div>
<div>सम्पत्ति का वर्णन</div>
<div>प्लॉट नं.0 जी 179, भूमि तल, न्याय खण्ड-111, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।</div>
<div>विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।</div>
<div>दिनांक: 21-11-2019</div>
<div>प्राधिकृत अधिकारी</div>

<div>नेहरू नगर शाखा</div>					
<div>यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नेहरू नगर, गाजियाबाद</div>					
<div>कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)</div>					
<div>जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आरिस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी तालिका में उधारकर्ता के खाते, चुकाने वाली राशि सहित अन्य जाकारिस्तों दी गयी है, को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।</div>					
<div>ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के खिदाफ उल्लिखित तारोखों पर निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।</div>					
<div>विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को धन धराशि प्रत्येक खाते के समक्ष उल्लेख में दिया गया है तथा उससे आगे का ब्याज शुल्क सहित देना होगा।</div>					
<div>सुरक्षित परिस्परितियों को धुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आर्मात किया जाता है।</div>					
क्र. सं.	खाते का नाम और उधारकर्ता का नाम (सम्पत्ति का मालिक)	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण (अचल)	डिमांड नोटिस की तारीख	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तारीख बकाया राशि
1.	श्री समीर सेठ पुत्र श्री एस्.पी. सेठ, श्रीमति रागिनी सेठ पत्नी श्री समीर सेठ और श्री रजेश कुमार समीर सेठ और श्री वसुधा कुमार सोनी पुत्र श्री बन्नी प्रयाद सह	वह सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्पत्ति जो दुकान नम्बर-10, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), दुकान नम्बर-13, श्रीमति रागिनी सेठ पत्नी श्री समीर सेठ और श्री रजेश कुमार समीर सेठ और श्री रजेश कुमार सोनी पुत्र श्री बन्नी प्रयाद सह	16.08. 2019	21.11.2019	₹. 12,14,735.71 31.07.19 को, आगे ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि के साथ।
2.	मैसर्स सुवेराज इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	1. वह सम्पूर्ण औद्योगिक सम्पत्ति जो ई-211, औद्योगिक क्षेत्र, कवि नगर, गाजियाबाद, जिसका क्षेत्रफल 1293.50 वर्ग मीटर है जो मैसर्स सुवेराज इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम है जिसकी सीमायें: पूर्व-ई-212, पश्चिम-ई-210, उत्तर-सड़क, दक्षिण-एच-24	20.08. 2019	21.11.2019	₹. 4,42,35,701.13 31.07.19 को, आगे ब्याज और अन्य शुल्क और लागत आदि के साथ।
	श्री सुमित शर्मा, श्री सोरभ शर्मा और अमित शर्मा	2. वह सम्पूर्ण आवासीय सम्पत्ति जो एच-6, यूजोएफ, ब्लॉक-8, प्लॉट नम्बर-8/16, सैक्टर-3, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद में स्थित है जो श्री सोरभ शर्मा, श्री सुमित शर्मा और श्री अमित शर्मा के नाम हैं। जिसकी सीमायें: पूर्व-प्लॉट न-73 और 74, पश्चिम-100 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- प्लॉट-17, दक्षिण-40 फीट सड़क			
दिनांक: 21.11.2019	स्थान: गाजियाबाद	प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			

व्यापार

सूचकांक 216 अंक टूटा, आइटी और बैंक शेयरों में ग

‘घिया-तोरि’ को कमतर बताने वाले विज्ञापन के लिए मैकडोनाल्ड को नोटिस

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने फास्ट फूड को बढ़ावा देने के लिए अपने विज्ञापनों में ताजे पके भोजन और सब्जियों का तिरस्कार करने के लिए मैकडोनाल्ड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

एफएसएसएआई ने एक बयान में कहा कि नियामक ने हार्ड कासल रेस्टोरेंट्स और कर्नाट प्लाजा रेस्टोरेंट्स लिमिटेड को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। ये फ्रेंचाइजी कंपनियां भारत में मैकडोनाल्ड शृंखला के रेस्तरां चलाती हैं। मैकडोनाल्ड ने इस महीने की शुरुआत में अखबारों में एक विज्ञापन दिया था, जिसमें घर में पके खाने और स्वास्थ्यवर्धक सब्जियों को कथित तौर पर कमतर करके दिखाया गया है। मैकडोनाल्ड के विज्ञापन में कहा गया था- ‘फिर अटके घिया-तोरि के साथ? बनाएं

नए बाजारों में पहुंच बना रहे हैं चमड़ा निर्यातक

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

भारत के चमड़ा निर्यातकों ने अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे विश्व के नए बाजारों में अपनी पहुंच बढ़ाई है।

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) के चेयरमैन पीआर अकील अहमद ने शुक्रवार को कहा कि निर्यातक इन बाजारों की बढ़ती मांग का फायदा ले रहे हैं। इससे देश का कुल निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अहमद ने कहा कि वैश्विक कंपनियों के समक्ष अपने उत्पादों के प्रदर्शन के लिए हमने उलट क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की है। उन्होंने कहा कि यूरोप के परंपरागत बाजार के अलावा उद्योग ने कई संभावित बाजारों मसलन अमेरिका, कनाडा, रूस, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया के बाजारों में भी अपनी पहुंच बनाई है।

उन्होंने कहा कि बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए परिषद यूरोप और अन्य प्रमुख व संभावित बाजारों में निर्यात प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि 2019-20 में हम ऐसे 16 मार्केटिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। 2020-21 में ऐसे 25 कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी है। अहमद ने बताया कि उलट क्रेता-विक्रेता बैठक में 26 देशों के 55 विदेशी खरीदार भाग ले रहे हैं।

अपना मनपसंद 1+1 कॉम्बो।’ एफएसएसएआइ ने माना है कि कुछ खाद्य कंपनियां अपने खाद्य पदार्थों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अक्सर अच्छा नहीं माने जाने वाले खाने को स्वस्थ खाने के विकल्प के रूप में पेश करती हैं। नियामक ने इस तरह के विज्ञापनों पर चिंता जताई है। मैकडोनाल्ड को निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। एफएसएसएआइ के विज्ञापन संहिता के उल्लंघन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है।

बयान में कहा गया कि नई दिल्ली और मुंबई में केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण और एफएसएसएआइ के अधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि मैकडोनाल्ड के खिलाफ क्यों न

कार्रवाई शुरू की जाए।

हार्डकासल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बयान में कहा कि वह पश्चिम और दक्षिण भारत में रेस्तरां चलाती है और अखबार के जिस विज्ञापन को लेकर सवाल उठ रहे हैं वह हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है। हमने इस बात को साफ करते हुए एफएसएसएआइ को पत्र लिखा है। हार्डकासल ने नियामक को लिखे पत्र में नोटिस वापस लेने का अनुरोध किया है जबकि कर्नाट प्लाजा रेस्टोरेंट्स की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। फ्रेंचाइजी ने कहा कि हम मैकडोनाल्ड ब्रांड के नाम से पश्चिम और दक्षिण भारत के हिस्सों में रेस्तरां चलाते हैं। उत्तर और पूर्व भारत में रेस्तरां चलाने वाली इकाई कर्नाट प्लाजा रेस्टोरेंट्स है, जोकि अलग है और हमारा उससे संबंध नहीं है। उसने कहा कि दिल्ली का बाजार उत्तरी भारत के अंदर आता है, जहां वह परिचालन नहीं करती है।

कारोबारियों के आपसी व्यापार में फर्जी बिलों से सरकार चिंतित

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

सरकार ने फर्मी के बीच (बी2बी) कारोबार में फर्जी बिल बनाए जाने के रूझानों पर चिंता जताई है। उसका कहना है कि इससे माल व सेवा कर (जीएसटी) की वसूली प्रभावित हो रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि फर्मी का आपसी कारोबार में मूल्य कम दिखाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने कहा कि इससे पार पाने की जिम्मेदारी उद्योग जगत की भी है। कारोबारियों के बीच खरीद-बिक्री में फर्जी बिल की समस्या के विषय में ठाकुर ने कहा कि यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसमें उद्योग को भी अहम भूमिका निभानी चाहिए।

जीएसटी के तहत हमें काफी नकली बिलों का आदान-प्रदान देखने को मिल रहा है और यह काम एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कारोबार के बीच में हो रहा है। ठाकुर यहां कंजमुर इलेक्ट्रानिक्स एंड एप्लायसिज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सालाना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रानिक कचरे के निस्तारण की बढ़ती समस्या का निदान निकालने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में फर्म से

उपभोक्ता के बीच बिक्री (बी2सी) की

कहानी दूसरी है। बी2बी में हम कई फर्जी बिल या चालान देख रहे हैं जो कि जीएसटी संग्रह बढ़ाने के मामले में एक बाधा बना हुआ है। वित्त राज्यमंत्री ने उद्योग जगत को आश्वासन भी दिया कि सरकार पूरी प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाएगी। इस संबंध में उन्होंने हाल में पेश किए गए आनलाइन आयकर आकलन व्यवस्था का भी जिक्र किया। जिसमें करदाता और कर अधिकारी एक-दूसरे के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं और एक-दूसरे को नहीं जानते हैं।

उन्होंने कहा कि कई उद्योगपतियों ने सरकार से कर विभाग में उनका उन्पीड़न होने की बात कही थी। यही वजह है कि हमने पहचान से स्वतंत्र कर आकलन की शुरुआत की। इस व्यवस्था की विजयादशमी से शुरुआत है। इसके तहत फिलहाल 58,322 मामले लिए गए हैं। मंत्री ने कहा- मैं आपसे प्रणाली में और बदलाव का वादा करता हूँ जो कि पारदर्शी और अधिक जवाबदेह होंगे। हमें अधिक पारदर्शी प्रणाली बनाने और उद्योग की मदद कर काफी खुशी होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी हमें अधिक निवेश करके मदद पहुंचाएंगे। उन्होंने उद्योगों से कहा कि वह भारत को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान करें।

इलेक्ट्रानिक उद्योग से ई-कचरे से उत्पन्न समस्या निपटने का आह्वान करते हुए ठाकुर ने कहा कि भारत में इस समय हर साल 18.5 लाख टन ई-कचरा पैदा हो रहा है।

परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना एडवांस नवोपेड सफेक्टेट्स लिमिटेड (परिणामापन में) श्री मेदुराखर रॉय, परिसंचायक द्वारा दिखाने और जोखम अग्रहण कोड, 2016 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की बिक्री	
परिसंचायक का पता: फ़ोन: 505-ए-59, 5वां मंज, रेस्टो-1, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कांकेन, दिल्ली-110017, ई-मेल: casarvi.p@11-04-56860	
ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 08.12.2019 को प्रारं: 10:00 बजे से अंशुद 05:00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के अंतराल के साथ) परामर्शों को प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि: 28.11.2019	
परिसंचायक दफ्तर के हिस्से वाली इकाईयें नवोपेड सफेक्टेट्स लिमिटेड की परिसंपत्तियों की बिक्री दिखाने और जोखम अग्रहण कोड, 2016 के अंतर्गत में अंतिम कार्यावली परामर्श/टी. प्रदान किए हुए निम्न निम्न परिसंचायक द्वारा अंतिम तिथि का रही है। परिसंपत्तियों की बिक्री परिसंचायक द्वारा ई-नीलामी सेब https://eactions.co.in के माध्यम से की जाएगी। बिक्री के लिए परिसंपत्तियों तथा संश्लेषों का सविनिय दिखाने:	
परिसंपत्तियों का विवरण:	वर्षिक आय/उत्पन्न शुल्क
बिक्री/ई. अखतर विचार कैबिनेट- परत नं. एम-56, एम-57, इंडस्ट्रियल प्लॉट, कोकरी, बिहार, विना अखतर, राधकान्त नं विचार भूख, पंचर, संघर्ष व महेतरी, कर्नल व विचारों से युक्त (अंतिम के साथ अधिगत) अंग।	₹ 732.79 लाख ₹. 36.63 लाख ₹.
परिसंपत्तियों का विवरण: अंतिम/नए ई-नीलामी कोनी प्रदान, पोषण और स्वयं कार्य, ऑनलाइन नीलामी बिक्री की सामान्य विवरण एवं प्रारं से युक्त पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://eactions.co.in पर उपलब्ध है।	
ई-नीलामी सेवा प्रदाता की ओर से संपर्क व्यक्ति: दीर्घक प्रजापति-7874138237	
परिसंचायक की ओर से संपर्क व्यक्ति: ईमेल:- casarvi.p@gmail.com, liqansl@gmail.com	
दिनांक: 24.11.2019	ह./- मेदुराखर रॉय, परिसंचायक, एडवांस नवोपेड सफेक्टेट्स लिमिटेड
स्थान: दिल्ली	IBBI Reg. No. IBBI/UPA-001/IP-00372/2017-18/10629

रूप वसुली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के सनक्ष चतुर्थ तल, जीवन वारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001	
वक तथा वित्तीय संस्थाओं का वय क़रण की वसुली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पारित क़रण वसुली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया विनियमवली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना	
ओ.ए. नं. 934 /2017 के मामले में	
बैंक ऑफ़ बड़ौदा	विरूद्ध
आवेदक	रवि रतन एवं अन्य
सेवा में	प्रतिवादीगण
डी-3 मैसर्स शुचकामना विल्ड्रेक प्रा. लि. प्लॉट नं. जीएच-05/बी.डी. सैक्टर-137, एसाप्रवेस, नोएडा, उत्तर प्रदेश यहां भी: ए-120, एक.एफ., स्टार हाउस, सैक्टर-4, नोएडा-201301 यहां भी: ए-80, सैक्टर-2, नोएडा-201301	
जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरूद्ध एक वाद रखापिंत किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषदक रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपके साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 23.11.2019 को पूर्ण. 10:30 बजे इस न्यायाधिकरण में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।	
ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समय उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।	
मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर सहित 5 नवम्बर 2019	न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सहायक अधिकारी, डीआरटी-III, नई दिल्ली

डेडीकैटेड फ़ोट कोडीरड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम (तेल मंत्रालय)	
प्रस्ताव हेतु प्रत्यक्ष अनुभूति (डीआरटीएच)	
देश- भारत परियोजना का नाम- ईस्टर्न डेडीकैटेड फ़्रीड कोरीडोर परियोजना-3 लोन सं.: (आईएन-8513) संदर्भ सं.: परियोजना आईडी: पी150158 कार्य शीर्षक: डीएफ़सीसीआईएल नेटवर्क के माध्यम से ट्रैक एक्सेस चार्जेंज तथा की परफॉर्मंस इंडीकेटर्स (केपीआई) पर परामर्शी सेवाएं अधिचूचना संदर्भ: प्रस्ताव हेतु प्रत्यक्ष अनुरोध (डीआरएफ़पी) की अधिसूचना संख्या- नं. एचयव/ओपीएंडबीडी/सीएस/टीएसी एवं केपीआई/डीएफ़सीसीआईएल/2019, दिनांक 11.11.2019 निविदा सं.: एचयव/ओपीएंडबीडी/सीएस/टीएसी एवं केपीआई/ डीएफ़सीसीआईएल/2019, दिनांक 19.11.2019 डेडीकैटेड फ़्रीड कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (डीएफ़सीसीआईएल)/डीएफ़सीसीआईएल नेटवर्क पर ट्रैक एक्सेस चार्जेंज तथा की परफॉर्मंस इंडीकेटर्स (केपीआई) पर परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष आरएफ़पी में भागीदारी हेतु पात्र परामर्शी फ़ार्मों ('परामर्शदाता') को आमंत्रित करता है। इच्छुक परामर्शदाताओं को सूचित किया जाता है कि संबंधित संदर्भ संख्या एवं आवश्यक दिशानिर्देशों से युक्त अधिसूचना तथा डीआरएफ़पी जमा करने के लिए विस्तृत सूचना को डाउनलोड करने हेतु डीएफ़सीसीआईएल की वेबसाइट 'www.dfccil.com' पर अपलोड कर दी गई है। परामर्शदाताओं से अनुरोध है कि वे आरएफ़पी अधिसूचना को डाउनलोड करें, जानकारी तैयारी करें और तत्पश्चात् डीआरएफ़पी को समूह महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास), डेडीकैटेड फ़्रीड कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, कमरा नं. 400ए, चौथ तल, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन भवन परिसर, नई दिल्ली के पास 03.01.2020 को 15:00 बजे तक जमा करें।	



गुवाहाटी के एक गांव में शनिवार को अपने खेत में धान की फसल काटती महिला।

चिकित्सा बीमा खरीदने वालों में महिलाओं की संख्या बढ़ी

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण पिछले कुछ समय में चिकित्सा बीमा खरीदने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 में चिकित्सा बीमा खरीदारों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 9 फीसद थी, जो 2018-19 में बढ़कर 19 फीसद पर पहुंच गई।

बीमा संबंधी ऑनलाइन सेवाएं देने वाली कंपनी पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के एक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉरपोरेशन बैंक व आंध्र बैंक के विलय को मंजूरी

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कॉरपोरेशन बैंक ने शनिवार को बंबई शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी। बैंक ने कहा कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किए जाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कॉरपोरेशन बैंक के निदेशक मंडल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय के प्रस्ताव को 16 सितंबर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।

शुद्धिपत्र - फार्म-ए	
आई एम फूडवैब प्राइवेट लिमिटेड, के-14, अजिमेन नं. 302ए, गैरिरी मोज़ा, विकास मार्ग, गाली नगर, नई दिल्ली -110092 के निेदारों का वयन दिशांगापान के नियम 6 के तहत "प्रान-ए", सार्वजनिक घोषणा (भारतीय दिखाने और वयन अस्थान बोर्ड [इंफ़ोर्मेड ब्लॉकों के लिए वयन श्रेय अस्थान समाधान प्रक्रिया] विनियमवली, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत) की ओर अज्ञापित है, जो इस अख़बार में दिनांक 23 नवंबर 2019 को उबलाने हुआ है, विनियम अंतर्गत अपनी का नाम "आई एम फूडवैब प्राइवेट लिमिटेड" के रूप में तालम से उबलाने हुई है। एचएम ब्लॉक/केएच का नाम "आई एम फूडवैब प्राइवेट लिमिटेड" रहे।	
दिनांक-23 नवंबर 2019	अंतिम सूचना
स्थान:- नई दिल्ली	ऑनलाइन पोस्टर
परामर्शक सं. -IBBI/PA-002/IP-AN0004/2016-17/101080	

प्रतिशत दर ई-निविदा आमंत्रण प्रेष सूचना भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यपालक अभियंता (सी), डाक सचिाल प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा निम्न कार्यों के लिए ऑन लाइन प्रतिशत दर (सीपीइव्यूडी-7) ई-निविदाएं आमंत्रित हैं:
1. **एनआईटी सं. एनआईटी/ ईईपीसीएनडी/ 2019-20/61** (2 र कॉल)
कार्य का नाम: सेवा नगर, नई दिल्ली में डाक कर्मचारी के क्वार्टरों का विशेष सचिवाल मरम्मत कार्य एवं एआर एमओ।
अनुमानित लागत: ₹. 42,03,537/-
धरोहर राशि: 84,071/-
पूरुणता अवधि: 03 (तीन) माह।

सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर काम कर रही है। मूजों के मुताबिक यह नीति जल्द ही जारी होने वाली है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह कहा। इस नीति का मकसद

दिल्ली कृषि विपणन परिषद् (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) 9 इस्टीट्यूशनल एरिया, पंखा रोड जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 फ़ोन:- 28522085, 28525232 फ़ैक्स- 011-28522085, ई-मेल:- ambdl@nic.in, वेबसाइट:- www.delagrmarket.nic.in						
ई-निविदा आमंत्रण सूचना						
सेक्रेटरी एपी ऍम सी नजफगढ़ की ओर से ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित मद दर ई-निविदा आमंत्रित की जाती है:-						
क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	पूरा करने की अवधि	ई-प्रॉक्वोरमेंट समाधान के माध्यम से निविदाओं की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा आई.डी. संख्या/ एन.आई.टी
1.	नयी अनाज मंडी नजफगढ़ में सेप्टिक टैंक, सीवर और स्टॉम वॉटर लाइनों की सफाई और डिसिल्टिंग	₹. 9,63,821/-	₹. 19,300/-	3 महीने	27/11/2019 को 14.30 बजे तक	2019 डी.ए.एम.बी. 1840071
(i)	निविदाएं अधिशासी अभियंता, डी.ए.एम.बी के कार्यालय में ऑनलाइन खोली जायेंगी-					
(ii)	तकनीकी बोली दिनांक 27.11.2019 को 15:00 बजे खोली जाएगी।					
(iii)	नियम व शर्तें एवं अन्य विवरण वेबसाइट:- https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखे जा सकते हैं।					
	हस्ता./-					
	अधिशासी अभियंता-I					
	DIP/Shabdarth/1032/19-20					

बढ़ी है।

कंपनी के प्रमुख (चिकित्सा बीमा) अमित छाबड़ा ने कहा कि भारत में महिलाओं का औसत जीवनकाल 69 साल का होता है, जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं को एक सही चिकित्सा बीमा खरीदना ही चाहिए। चिकित्सा बीमा सभी उम्र की महिलाओं के लिए जरूरी है। किशोर उम्र की लड़कियां अपने परिजनों के साथ चिकित्सा बीमा ले सकती हैं, वहीं शादीशुदा महिलाओं को एक निजी चिकित्सा बीमा रखना जरूरी है।

सितंबर तिमाही में सूचीबद्ध कंपनियों का प्रदर्शन निराशाजनक

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

बंबई शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में निराशाजनक रहा है। 75 फीसद से अधिक कंपनियों को अब तक 2,919 कंपनियों ने परिणाम जारी किए हैं। इनमें से 30.6 फीसद यानी 893 कंपनियों को घाटा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार सितंबर तिमाही में 44.7 फीसद यानी 1,304 कंपनियों का लाभ

एक साल पहले के स्तर पर स्थिर रहा। इस दौरान सिर्फ 24.7 फीसद यानी 722 कंपनियों के लाभ में ही वृद्धि हुई है।

बड़ी कंपनियों की बातें करें तो सितंबर तिमाही में इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। बंबई शेयर बाजार की लाईसूचक कंपनियों (एसी कंपनियां जिनका बाजार पूंजीकरण 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक है) में अब तक 136 कंपनियों ने सितंबर तिमाही का परिणाम जारी किया है। आंकड़ों के अनुसार इनमें से 41.9 फीसद कंपनियों का लाभ बढ़ा है। बड़ी कंपनियों में महज 22.8 फीसद का प्रदर्शन नकारात्मक रहा है जबकि 35.3 फीसद कंपनियों का प्रदर्शन स्थिर रहा।

जेपी इंफ्रा : कर्जदाता बैंकों की 28 को होगी बैठक

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही जेपी इंफ्राटेक के लिए एनबीसीसी और सुरक्षा रीयल्टी की बोली पर आगे और विचार-विमर्श के लिए कर्जदाता बैंकों की 28 नवंबर को बैठक होगी।

जेपी इंफ्राटेक के अंतरित समाधान पेशेवर (आइआरपी) अनुज जैन ने नियामकीय सूचना में कहा है कि ऋणदाता समिति की एक बैठक 28 नवंबर, 2019 को होगी। हालांकि बैठक के एजेंडे के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हालांकि, सूत्रों ने बताया है कि कर्जदाता बैंकों का बोली लगाने वाली दोनों कंपनियों के साथ विचार-विमर्श लगातार जारी रहेगा।

इससे पहले, इस सप्ताह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने एनबीसीसी लिमिटेड और सुरक्षा रीयल्टी द्वारा सौंपी गई बोली पर चर्चा की। सुप्रिम

सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर कर रही काम

नई दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा)।

सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर काम कर रही है। मूजों के मुताबिक यह नीति जल्द ही जारी होने वाली है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह कहा। इस नीति का मकसद

देश में स्वर्ण उद्योग और आभूषण निर्यात को बढ़ावा देना है।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग में संयुक्त सचिव सुरिंदर पाल सिंह ने यहां एक कार्यक्रम के मौके पर संवाददाताओं से कहा कि नीति आयोग ने स्वर्ण नीति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट की जांच परख की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार निश्चित रूप से इसे देख रही है, निश्चित ही एक स्वर्ण नीति होगी। घरेलू स्वर्ण उद्योग ने सोने पर आयात शुल्क को मौजूदा 12.5 फीसद से घटाकर चार फीसद करने की मांग की है।

इस तथ्य के बावजूद कि भारत इस कीमती धातु का सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता है, देश में वर्तमान में कोई स्वर्ण नीति नहीं है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस पीली धातु को निवेश संपत्ति के तौर पर विकसित करने के लिए एक वृहद स्वर्ण नीति बनाने की घोषणा की थी जिसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार कार्यकारी अभियंता का कार्यालय सी-10 इन्द्रलोक	
ई-निविदा आमंत्रण सूचना	
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी-10, डी.ए.एम.आई.बी. इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा प्रणाली में प्रतिलिपि दर निविदा (अंतिम/नए) आमंत्रित करते हैं: निविदा संख्या: 106/EEC-10/ DUSIB/ 2019-20 निविदा संख्या: 2019. DUSIB. 183880-1 कार्य का नाम: अनुसूचित जाति/जन जाति वित्तियों में सुधारकाम कार्य: दिल्ली सरकार, दिल्ली एच.एम.बी. जे जे कालोनी इन्डियन (विधान सभा क्षेत्र-39; रावेन्द्र नगर के बस्कर; ए में) (विकेट-ए-322 व दुर्गा में) की, 46) पीएल का निर्माण अनुमानित लागत: ₹. 82,74,555.00 धरोहर राशि: ₹. 1,65,500.00 निविदा मूल्य: ₹. 1000.00 कार्य अवधि: 240 Days निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समय: 02.12.2019 के 15.00 बजे तक निविदा कोलने की तिथि: 02.12.2019 के 15.30 बजे के बाद निविदा प्रस्ता एव अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocurement.delhi.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। ** सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अग्रतन/सुधार के लिए निम्नलिखित रूप से उपरोक्त साइट का अन्वेषण करते रहें, अग्रतन/सुधार प्रेष में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।	
हस्ता./-	कार्यकारी अभियंता
DIP/Shabdarth/1026/19-20	सी-10, डी.ए.एम.आई.बी